85

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1301–पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–12–2016 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 तहसील व जिला नीमच के प्रकरण कमांक 3/अ–12/2016–17 ।

.....

ओमप्रकाश पिता किशनलाल अग्रवाल
निवासी होलो चौक बघाना तहसील नीमच ..... आवेदक

विरूद्ध

मांगीबाई पति गोपीकिशन
निवासी चुडी गली नीमच केन्ट
तहसील व जिला नीमच

..... अनावेदक

.....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–आवेदक
श्री अवधेश राजौरिया, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 तहसील व जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–12–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा ग्राम धनेरिया कलां तहसील व जिला नीमच स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1126 व 1135 रकबा कमशः 0.04 एवं 1.05 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 27–12–2016 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण को विधिवत सूचना दिये बिना सीमांकन किया गया है, जो कि अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन की कार्यवाही नहीं किया गया है तथा मौके पर फील्डबुक आदि भी नहीं बनाई गई है। उनके द्वारा सीमांकन आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत आवेदकगण सहित पड़ोसी कृषको को सूचना दिया जाकर सीमांकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है। यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत मौके पर पंचनामा, फील्डबुक एवं नक्शा तैयार किया गया है, और स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन किया गया है । उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि दोनों पक्षकारों के पास तहसील न्यायालय के प्रकरण की दो अलग अलग तरह की आदेश पत्रिका की सत्यप्रतिलिपियॉ है। स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय की समस्त

कार्यवाही सन्देहास्पद होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को दोनों पक्ष की आदेश पत्रिका की सत्यप्रपिलिपि की प्रतियॉ कलेक्टर को जॉच कर कार्यवाही हेतु भेजी जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक वृत्त–2 तहसील व जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–12–2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है तथा कलेक्टर को जॉच कर कार्यवाही हेतु पृथक से लिखा जावे ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर